International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 3; Issue 10; October 2017; Page No. 64-66

मुस्लिम परिवारों के विवाह में होने वाले परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

गीता कुमारी, प्रवीन कुमार शर्मा
समाजशास्त्र विभाग, पी0सी0 बागला कालेज, हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
वर्तमान समय में विवाह के ढांचे में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन मुसलमानों में विवाह की अपनी एक विशिष्ट पद्धति है। नगरीय क्षेत्रों में अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कम परिवर्तन हुए है। इन परिवर्तनों के अनेक कारण हैं जिनमें औद्योगीकरण, राजनीतिकरण, नौकरशाही तथा नगरीयकरण आदि प्रमुख हैं।

मूल शब्द: मुस्लिम विवाह का स्वरूप, विवाह के निर्णय में प्राथमिकता, परिवार में पर्दा प्रथा, विवाह की अनिवार्यता, विवाह से पहले लड़के–लड़की का मिलना एवं बातचीत करना, बेमेल विवाह का स्वरूप तथा बाल्यावस्था में विवाह का स्वरूप।

प्रस्तावना
भारत में मुसलमानों ने हिन्दुओं में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं बाल विवाह जैसी अनेक बातों को अपनाया तथा अपने रीति–रिवाजों में अनेक परिवर्तन किए। इसका मुख्य कारण अनेक हिन्दुओं द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करना था। मुसलमानों में विवाह की अपनी एक विशिष्ट पद्वति है। पुराने समय में मुसलमानों में लड़कियों को इतना अधिक छिपाया जाता है कि लड़के वाले लड़की को आसानी से देख नहीं पाते थे।

अब्दुर्रहीम के कथन के अनुसार – ''मुस्लिम विधिशास्त्रियों ने विवाह को लौकिक संव्यवहार (मुआमलाल) के साथ साथ एक धार्मिक कृत्य (इबादत) भी माना है।''[2]

मुस्लिम विवाह एक संविदा (अनुबन्ध) है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित (मुल्ला) की आवश्यकता होती है और न ही किसी धार्मिक कर्मकाण्ड की।

अब्दुल कादिर के अनुसार– ''मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा ;बवदजतंबजद्ध है यह कोई संस्कार ;बतंउमदजद्ध नहीं है।''[1]

हेदाया ;भ्मकलंद्ध ने– ''मुस्लिम विवाह से एक ऐसी संविदा का बोध होता है जो सन्तानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है।''[5]

अमीर अली के अनुसार – ''मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह पूर्ण होने के लिए किसी धार्मिक अथवा संस्कारगत औपचारिकता की अनिवार्यता नहीं रहती है।''[3]

सिन्हा ने 2006 में मुस्लिम विधि का वर्णन किया।[8] लवानियां ने (2010) में परिवर्तन एवं विकास के समाजशास्त्र का अध्ययन किया था।[7]

मुसलमानों में कभी–कभी शादी लड़का और लड़की के जन्म लेने पर ही उनके माता–पिता विवाह तय कर देते थे, जिसे 'ठीकरे की मांग' कहा जाता था। पहले लड़के और लड़कियाँ विवाह के अवसर पर अपनी राय भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि विवाह के सम्बन्ध में उनका कुछ बोलना बेहयाई व बेशर्मी मानी जाती थी, परन्तु अब विवाह की रस्में बदली हैं। मुस्लिम–विवाह का स्वरूप यद्यपि आज बहुत कुछ बदल चुका है और कानूनी स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया है, तथापि मूल रूप से यह प्राचीन अरब समाज में प्रचलित विवाह की उपज कहा जा सकता है। अतः मुस्लिम विवाह के आधुनिक स्वरूप का विश्लेषण करने से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में यह उपयुक्त होगा कि हम इसके परम्परात्मक रूप का परिचय प्राप्त कर लें। वर्तमान समय में विवाह के ढाँचे में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कम। इन परिवर्तनों के अनेक कारण है जिनमें औद्योगिकीकरण, राजनीतिकरण, नौकरशाहीकरण तथा नगरीयकरण आदि मुख्य है। इनके अलावा परिवर्तन की आन्तरिक शक्तियों के परिणामस्वरूप भी विवाह के ढाँचे में परिवर्तन आ रहे हैं।

लेखक गीताकुमारी ने (2016) में मुस्लिम परिवारों में परिवर्तित दृष्टिकोण का अध्ययन किया। आज शिक्षा का प्रसार तेजी के साथ हो रहा है।[4] अब स्त्रियों को घर के बाहर कार्य करने और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलने लगा है। समय परिवर्तन के साथ सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। अब लोगों की रुचियाँ एवं प्रवृत्तियाँ भी बदली हैं। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का भी यहाँ के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा है। यहाँ व्यक्तिवादिता का भी काफी महत्व बढ़ा है। व्यापार, उद्योग–धन्धे तथा नौकरी की सुविधाओं के बढ़ने से लोग एक स्थान से दूसरी स्थान पर भी जाने लगे हैं। अब भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता काफी बढ़ चुकी है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्थान पर बने रहना सम्भव नहीं है। अब लड़के–लड़कियों को एक दूसरे के सम्पर्क में आने और निकट सम्बन्ध स्थापित करने की सुविधाएँ भी प्राप्त होने लगी हैं। जाति के बन्धन भी कुछ शिथिल होते जा रहे हैं। ये सब ऐसे कारण एवं परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने विवाह संरचना के परिवर्तन करने में सहयोग दिया है।

अब बाल्यावस्था में विवाह करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। आजकल बाल–विवाह और बेमेल विवाह की संख्या घटती जा रही है। अब विवाह की आयु बढ़ती और पति–पत्नी के बीच की आयु का अन्तर कम होता जा रहा है। अब बिलम्ब विवाह भी होने लगे हैं। नगरों में मध्यम वर्ग के लोगों और शिक्षितों में देर से विवाह करने की प्रवृत्ति पाई जाने लगी है। आजकल शिक्षित परिवारों में लड़कों के विवाह साधारणतः 20 से 25 वर्ष और लड़कियों के 18 से 23 वर्ष की आयु में होने लगे हैं। कम आयु में विवाह होने पर माता–पिता ही विवाह सम्बन्धी सभी निर्णय लेते थे। अब विवाह की आयु के बढ़ने से जीवन साथी के चुनाव में लड़के–लड़कियाँ स्वयं के अधिकार का प्रयोग करने लगे हैं।

वर्तमान समय में विवाह से सम्बन्धित नाते रिश्तेदारों के महत्व में कमी आती जा रही हैं। अब विवाह प्रमुखतः पति पत्नी के बीच एक सम्बन्ध रह गया है। पत्नी अब दूर के रिश्तेदारों के साथ उतनी घनिष्टता का अनुभव नहीं करती जितना पहले करती थी। कारण यह है कि आज की परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी हैं। अब शिक्षित स्त्रियाँ और उनके पति अपने सहकर्मियों तथा मित्रों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बनाने के इच्छुक हैं। नौकरी, व्यापार, अथवा उद्योग–धन्धे हेतु किसी अन्य स्थान पर जाकर बसने की सुविधाओं, नगरीय क्षेत्रों में स्थान की कमी, कई स्त्रियों के नौकरी करने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि ने परिवार के आकार को घटाने और नाते–रिश्तेदारों के महत्व को कम करने में योग दिया है।

अब पत्नी की सास–ससुर, देवर–देवरानी, ज्येष्ठ–जेठानी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सन्दर्भ में कुछ अन्तर दिखाई पड़ने लगा है। अब वह अपने वृद्ध सास–ससुर की सेवा और अन्य सदस्यों के प्रति अपने दायित्व के निर्वाह हेतु अधिक समय देना चाहिए जिससे उनके बीच में सामंजस्य बना रहे। उतना समय नहीं दे पाती, जितना पहले दे सकती थी। इसका कारण यह है कि अब उसका कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। पति उससे मित्र और संगिनी के रूप में कई अपेक्षाएँ रखता है और इन अपेक्षाओं को पूर्ण भी करना पड़ता है, अपनी सन्तान की देखभाल, पढ़ाई का प्रबन्ध और यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल से मिलने वाले होमवर्क में भी अपनी सहभागिता दिखानी पड़ती है। कहीं–कहीं कुछ स्त्रियाँ नौकरी भी करती हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न नाते–रिश्तेदारों के सन्दर्भ में कहीं–कहीं उसकी भूमिका निर्वाह में संघर्ष भी पाया जाता है। यह निश्चित है कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में पति–पत्नी के सम्बन्धो में परिवर्तन आया है। साथ ही पति–पत्नी के अन्य रिश्तेदारों के साथ उनके सम्बन्धों में भी परिवर्तन हुआ है।

विवाह की सरंचना में उपर्युक्त परिवर्तन अभी नगरों के शिक्षित लोगों तक ही सीमित हैं परन्तु शिक्षा के प्रसार तथा नगरीकरण के बढ़ने से ग्रामीण जीवन पर भी इनका प्रभाव निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। भविष्य में विवाह के वैयक्तिक पक्ष के अधिक मजबूत होने, रोमांचक प्रेम–विवाहों के बढ़ने तथा विवाह से सम्बन्धित कर्मकाण्डों की जटिलता के कम होने की सम्भावना कम है। असाधारण परिस्थितियों में दुखी वैवाहिक जीवन के अन्त हेतु विवाह विच्छेद के अधिकार को उपयोग में लाने की सम्भावना भी अधिक हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समय में मुस्लिम परिवारों के विवाह में होने वाले परिवर्तनों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है।

1. मुस्लिम परिवारों में विवाह के स्वरूप एवं विवाह के निर्णय में प्राथमिकता का अध्ययन करना।
2. मुस्लिम परिवारों की महिलाओं में पर्दा प्रथा का अध्ययन करना।
3. मुस्लिम परिवारों में विवाह से पहले लड़के–लड़की का मिलना व बातचीत का अध्ययन करना।

उपकल्पना

1. मुस्लिम परिवारों में विवाह के स्वरूप एवं विवाह के निर्णय में प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है।
2. मुस्लिम परिवारों की महिलाओं में पर्दा प्रथा मुख्यतः अधिक निर्भर रहती हैं।
3. मुस्लिम परिवारों में विवाह से लड़के–लड़की का मिलना व बातचीत करने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है।

अध्ययन क्षेत्र एवं प्रकृति

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद का है। इसमें सबसे अधिक काँच की चूडियाँ, सजावट, में काँच की वस्तुओं, वैज्ञानिक उपकरण व बल्व आदि बनाये जाते हैं। फिरोजाबाद में मुख्य रूप से चूडियों का व्यवसाय होता है। घरों के अन्दर महिलाऐं चूडियों पर पॉलिस तथा हिल लगाकर धनोपार्जन करके अपने परिवार का पालन–पोषण करती हैं फिरोजाबाद शहर से 50 मुस्लिम सदस्यों का चुनाव किया गया। वे शिक्षित–अशिक्षित युवा वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की उपलब्धियाँ

वर्तमान में मुस्लिम परिवारों के विवाह में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए सर्वप्रथम उनके परिवार के स्वरूप को ज्ञात किया गया है :

सारणी 1: सूचनादाताओं के परिवार में विवाह का स्वरूप

विवाह का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिषत
सामाजिक समझौता	39	78
सिविल	11	22
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि 78 प्रतिशत सूचनादाता सामाजिक समझौता से विवाह करते हैं तथा 22 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता हैं, जो सिविल द्वारा विवाह करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश मुस्लिम परिवार सामाजिक समझौता के बारे में अपनी सोच रखते हैं।

सारणी 2: विवाह के निर्णय में प्राथमिकता

विवाह के निर्णय में विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
माता–पिता द्वारा तय किया हुआ विवाह	06	12
लड़का–लड़की की अपनी पसन्द से	10	20
माता–पिता तथा लड़का–लड़की की राय से	34	68
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 12 प्रतिशत विवाह माता–पिता द्वारा तय किये जाते है। 20 प्रतिशत लड़का–लड़की अपनी पसन्द से विवाह में निर्णय लेते हैं तथा 68 प्रतिशत माता–पिता तथा लड़का–लड़की के विवाह की राय से विवाह में निर्णय लेते हैं।

एक समय ऐसा था जब लड़का–लड़की के विवाह में माता–पिता का निर्णय सभी के द्वारा मान्य था, अर्थात लड़का–लड़की की राय लेना आवश्यक नहीं था, किन्तु अब अधिकांश 68 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि विवाह माता–पिता द्वारा ही व्यवस्थित हो लेकिन विवाह से पूर्व लड़का–लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो, उन पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाये। माता–पिता द्वारा तय किये हुए विवाह का मात्र 12 प्रतिशत सूचनादाता ही स्वीकार करते हैं

सारणी 3: सूचनादाताओं के परिवार में पर्दा प्रथा

परिवार में पर्दा प्रथा	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	38	76
नहीं	12	24
योग	60	100

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 76 प्रतिशत सूचनादाता परिवार में पर्दा करने के पक्ष में हैं तथा 24 प्रतिशत सूचनादाता पर्दा प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। यह वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम परिवारों में पर्दा न कराने की सोच में बदलाब कम हो रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को दर्शाते हैं।

सारणी 4: विवाह की अनिवार्यता

विवाह की अनिवार्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	48	96
नहीं	2	4
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 96 प्रतिशत विवाह को अनिवार्य मानती हैं, 4 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह को अनिवार्य नहीं मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भी अधिकतर मुस्लिम महिलाऐं विवाह को अनिवार्य मानती हैं।

सारणी 5: विवाह से पहले लड़के–लड़की का मिलना व बातचीत करना

विवाह से पहले मिलना व बातचीत करना	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	36	72
नहीं	14	28
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 72 प्रतिशत सूचनादाताओं ने लड़का–लड़की के विवाह से पहले मिलने व बातचीत करने को उचित माना है तथा 28 प्रतिशत ने उचित नहीं माना है कि आज भी मुस्लिम समाज में अधिकतर लोग लड़का–लड़की के विवाह से पूर्व मिलने व बातचीत करने को उचित समझते हैं यह वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं की आधुनिक सोच को प्रदर्शित करते हैं।

सारणी 6: सूचनादाता के परिवार में बेमेल विवाह का स्वरूप

बेमेल विवाह का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	4	8
नहीं	46	92
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 8 प्रतिशत सूचनादाता बेमेल विवाह करने के पक्ष में हैं तथा 92 प्रतिशत सूचनादाता बेमेल विवाह करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे स्पस्ट होता है कि मुस्लिम महिलाऐं बेमेल विवाह नहीं करना चाहती हैं।

सारणी 7: सूचनादाता के परिवार में बाल्यावस्था में विवाह का स्वरूप

बाल्यावस्था में विवाह का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	13	26
नहीं	37	74
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 26 प्रतिशत सूचनादाता बाल्यावस्था में विवाह करने के पक्ष में हैं तथा 74 प्रतिशत सूचनादाता बाल्यावस्था में विवाह करने के पक्ष में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम परिवारों में बाल्यावस्था में विवाह के स्वरूप में काफी सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

पूर्ण विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम परिवारों के विवाह के रूवरूप में अधिकांश (78 प्रतिशत) सूचनादाता सामाजिक समझौता द्वारा ही विवाह करते हैं विवाह के निर्णय की प्राथमिकता में अधिकांश संख्या (68 प्रतिशत) माता–पिता तथा लड़का–लड़की की राय से करते हैं। परिवार में पर्दा प्रथा में अधिकांश (76 प्रतिशत) सूचनादाता की महिलाऐं पर्दा करने के पक्ष में हैं तथा 24 प्रतिशत महिलाऐं पर्दा नहीं करने के पक्ष में हैं। विवाह की अनिवार्यता में अधिकांश (96 प्रतिशत) सूचनादाता विवाह को अनिवार्य मानती हैं विवाह से पहले लड़का–लड़की का मिलना व बातचीत करने में अधिकांश (72 प्रतिशत) सूचनादाता अपनी राय को सही मानते हैं बेमेल विवाह के स्वरूप में अधिकांश (92 प्रतिशत) सूचनादाता करने के पक्ष में नहीं हैं। बाल्यावस्था में विवाह करने के पक्ष में केवल 26 प्रतिशत परिवार ही रहते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम परिवारों के विवाह में जो उपर्युक्त परिवर्तन देखने को मिले हैं, सभी प्रगतिशील की दिशा में अभिमुखीकृत हैं।

सुझाव

1. मुस्लिम परिवार सामाजिक समझौता स्वरूप के बारें में अपनी सोच रखते हैं जिससे सिविल रूप को छोड़कर सामाजिक समझोतों की ओर बढ़ सकें।
2. विवाह के निर्णय में प्राथमिकता पहले समय में लड़का–लड़की का विवाह माता–पिता या घर के बड़े–बुजुर्गो के द्वारा जो निर्णय होता था, वही निर्णय सभी को मान्य हो जाता था परन्तु बदलते परिवेश के अनुसार निर्णय माता–पिता तथा लड़की की राय से लें।
3. मुस्लिम परिवारों में पर्दा न करने की सोच में बदलाब तो हुआ है जबकि पहले पर्दा प्रथा का चलन बहुत अधिक था।
4. विवाह की अनिवार्यता को मुस्लिम महिलाएं अधिकांश महत्व देती हैं क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए विवाह परम आवश्यक है।
5. मुस्लिम समुदायों में विवाह से पहले लड़के–लड़की के मिलने एवं बातचीत करने के बाद ही शादी करनी चाहिए।
6. मुस्लिम समुदायों में पहले अधिकतर विवाह बेमेल होते थे लेकिन बदलते परिवेश के अनुसार बेमेल विवाह नहीं करना चाहिए।
7. अध्ययन के अनुसार निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम परिवारों में विवाह बाल्यावस्था में नहीं करना चाहिए।

सन्दर्भ

1. अब्दुल कादिर बनाम सलीमा (1886), 8, इलाहाबाद, 449 पूर्णपीठ।
2. अब्दुर्रहीम : मुहम्मडन ज्यूरिस्प्रूडेन्स, पृ0–327.
3. अमीर अली : मुहम्मडन लॉ, भाग–प्प, सं0 प्प्, पृ0–327.
4. गीता कुमारी (2016) : मुस्लिम परिवारों में परिवर्तित दृष्टिकोण का अध्ययन संख्या–5(1), पृ0 100–104.
5. हेदाया : (हैमिल्टन–अनूदित) संख्या 11 : पृ0–25.
6. कुरान : सुरा प्ट, आयत–3.
7. लवानिया, एम0एम0 : परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2010.
8. सिन्हा, आर.के. : मुस्लिम विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 2006.